कृषि उत्पादन मंडी समिति, इलाहाबाद

बनाम

मैं0 बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (पी) लिमिटेड और अन्य

(2003 की सिविल अपील सं. 8963)

11 अगस्त, 2011

[पी. सथाशिवम एवं डॉ. बी.एस. चौहान, न्यायाधीशगण]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (अधिनियम 1964)- धारा 9-प्रत्यर्थी कम्पनी ने विनिर्दिष्ट कृषि उपज थोक में बाजार क्षेत्र के भीतर खरीद किया और इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पाद के निर्माण में किया। क्या प्रत्यर्थी-कंपनी को लाइसेंस प्राप्त करने मे छूट अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के अधीन दी गई थी। अभिनिर्धारित: विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बिक्री बाजार क्षेत्र में किसी भी स्थान से प्रतिबंधित है जब तक कि संबंधित व्यक्ति के पास लाइसेंस न हो। विधि लाइसेंस होने या बाजार शुल्क का भुगतान करने से छूट का प्रावधान करती है। यदि किसी व्यक्ति को कृषि उपज घरेलू खपत विधि के लिए खुदरा बिक्री की जाती है। अधिनियम 1964 के तहत "घरेलू खपत" का एक बहुत ही प्रतिबंधित और सीमित अर्थ लगाया जायेगा अर्थात् खरीददार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए, परिवार द्वारा उपभोग के लिए और वाणिज्यिक

और औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं - थोक में कृषि उपज की खरीद "घरेलू खपत" के लिए नहीं कहा जा सकता है -क्योंकि प्रत्यर्थी कंपनी बाजार क्षेत्र से विनिर्दिष्ट कृषि उपज, जो घरेलू खपत के लिए आशयित नहीं है खरीद करती है, कंपनी को अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के अधीन अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली, 1965 (नियम 1965) नियम 70

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (अधिनियम 1964) - उद्देश्य- बताया गया।

प्रत्यर्थी सं. 1- कंपनी आयुर्वेदिक दवाओं सहित चवनप्राश का विनिर्माण करती है।

कथित प्रत्यर्थी चवनप्राश के विनिर्माण के लिए कुछ कृषि उपज जैसे गुड़, आवंला और घी आदि खरीदती है और इन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग करती है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-1 को UPKUM ACT 1964 (अधिनियम-1964) की धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्ति लेने के लिए नोटिस प्रेषित किया क्योंकि उपरोक्त कृषि उपज अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में खरीद और प्रसंस्करण कर रही थी।

प्रत्यर्थी नं. 1 उत्तर दिया कि लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह कृषि उपज की बिक्री या खरीद का कोई व्यवसाय नहीं कर रही

थी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस दिया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने उक्त नोटिस का पालन नहीं किया। जिसके बाद अपीलार्थी ने विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रत्यर्थी सं. 1 के विरूद्ध अधिनियम 1964 के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए परिवाद संस्थित किया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने परिवाद मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संस्थित की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह धारित करते हुए स्वीकार की कि प्रत्यर्थी सं. 1 कृषि उपज खरीदने के बाद आंतरिक उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा था अर्थात् अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए अपने कारखाने में खपत के लिए और ना कि कृषि उत्पाद का आगे किसी अन्य को हस्तांतरण करने के लिए और इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं. 1 को अधिनियम 1964 की धारा 9 के तहत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी।

हस्तगत अपील में विचारण के लिए प्रश्न था कि -

क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बाजार क्षेत्र में खरीदे गए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद और वाणिज्यिक निर्माण में उपयोग किये गये उत्पाद को घरेलू उपभोग के लिए माना जा सकता था और इस प्रकार इसे अधिनियम 1964 की धारा 9(2) के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के साथ-साथ धारा 17 (iii) (b) के तहत बाजार शुल्क और भुगतान में भी छूट दी जाएगी।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

धारित किया: 1. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (अधिनियम 1964) को विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बिक्री बाजार क्षेत्र में बिक्री और खरीद को विनियमित करने और उत्तर प्रदेश में पुरानी बाजार प्रणाली में प्रचलित अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य उत्पादक-विक्रेता के लिए जाने वाले कई व्यापार शुल्कों, भारों और अधिभारों को कम करना थाय सटीक भार और तराजू के सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादक विक्रेता अपनी वैध देनदारियों से इन्कार न करे आगे और उत्पादक-विक्रेता को बाजार में सुविधायें प्रदान करने के लिए तथा बेहतर भण्डारण सुविधायें प्रदत्त करने के लिए, उत्पाद विक्रेता से असामान्यताओं एवं अनधिकृत भारों एवं शुल्कों को रोकने के लिए तथा विशिष्ट कृषि उत्पादकों के संबंध में जानकारी के उद्देश्य से कृषि उत्पादकों की नवीनतम स्थिति के साथ नियुक्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें करने के लिए। [पैरा 8] [1184-एच] [1185-ए-सी]

2. अधिनियम 1964 की धारा 2 (ए) "कृषि उत्पाद" को परिभाषित करती है। "व्यापारी" को धारा-2 के खण्ड (वाई) के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम 1964 की धारा 9 "घरेलू खपत" के लिए कृषि उत्पाद की खरीद पर अधिनियम लागू होने को अपवर्जित करती है। अधिनियम 1964 की धारा 17 समिति को लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने,

निलंबित करने या रद्द करने और बाजार शुल्क लगाने और एकत्र करने का अधिकार देती है। हालांकि, इसके लिए प्रावधान इस प्रकार "परंतु यह कि किसी भी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की खुदरा बिक्री पर कोई बाजार शुल्क या विकास उपकर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।" जहां ऐसी बिक्री उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपभोग के लिए की जाती है। अधिनियम, 1964 की धारा 37 समिति को अधिनियम 1964 की धारा 9 या नियम 1965 में समाहित किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। उपरोक्त विधिक प्रावधानों का संयुक्त पठन करने पर संचयी प्रभाव है, इस प्रभाव का है कि बाजार क्षेत्र के किसी भी स्थान से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की बिक्री निषिद्ध है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति के पास अनुज्ञप्ति ना हो। कानून में अनुज्ञप्ति होने या बाजार शुल्क के भुगतान का एक अपवाद है कि यदि कृषि उत्पाद की बिक्री "घरेलू खपत" के लिए किसी व्यक्ति को "खुदरा बिक्री" में की जाती है। [1185 -सी-डी-एफ-एच, 1186-एफ-एच, 1187-ए-एफ-एच]

3.1. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा खरीदशुदा उत्पाद कृषि उत्पाद है। अपीलार्थी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 18-04-1988 को देखते हुए, एक खुदरा व्यापारी उसको विहित सीमा से अधिक कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकता। उक्त

परिपत्र कृषि उत्पाद की वह अधिकतम सीमा तय करता है जो खुदरा व्यापारी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को घरेलू खपत के लिए बेच सकता है। नियम 1965 के अधीन जारी परिपत्र कृषि उत्पाद की किसी व्यक्ति को बिक्री और भण्डारण की सीमा विहित करता है। [पैरा -11] [1187-एचय 1188 ए-बी]

क्योंकि खुदरा व्यापारी परिपत्र में विहित मात्रा से अधिक कृषि उत्पाद को विक्रय नहीं कर सकता तथा फुटकर विक्रेता स्वयं भी परिपत्र में विहित सीमा से अधिक खरीद और भण्डारण नहीं कर सकता, इसलिए "घरेलू खप्त" का अर्थ भी विवर्जित भाव में लेना पड़ेगा। अतः इस प्रकर व्यक्तिगत प्रयोग अर्थात् पारिवारिक सदस्यों के उपयोग के लिए खरी और ना कि किसी उत्पादन गतिविधि के लिए, अन्यथा खुदरा व्यापारी द्वारा खरीद और भण्डारण की विहित सीमा अनावश्यक हो जाती है। कृषि उत्पाद की थोक में खरीद को घरेलू खपत के रूप में नहीं कहा जा सकता। न्यायालय अभिवचनों से बाहर नहीं कहा जा सकता है। "घरेलू व्यापार" तथा "विदेशी व्यापार" का अर्थ वर्तमान मामले मे विवाद नहीं है। अधिनियम 1964 के तहत "घरेलू खपत" को बहुत ही निर्बधित तथा परिसीमित अर्थ देना होगा अर्थात् खरीददार के व्यक्तिगत आयोग के लिए, अर्थात् परिवार के उपभोग के लिए और ना कि वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए [पैरा -17] [1191-सी-एफ]

मै0 केसरवानी जरदा भंडार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

एआईआर 2008 एससी 2733: 2008 (8) एससीआर 801-सुभिन्न किया गया।

विरेंद्र कुमार और अन्य बनाम कृषि उत्पादन मंडी समिति व अन्य

(1987) 4 एस.सी.सी. 454 पर निर्भर किया गया

स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य और अन्य **(2006) 10 एससीसी 201: 2006 (6) पूरक, एस.सी.आर. 380;** जी. गिरिधर प्रभु और अन्य बनाम कृषि उत्पाद बाजार समिति, **ए.आई.आर 2001 एस.सी. 1363: 2001 (2) एससीआर 329;** एच.पी. विपणन बोर्ड और अन्य बनाम शंकर ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड और अन्य **(1997) 2 एससीसी 496: 1996 (5) पूरक, एस.सी.आर. 515;** विजयलक्ष्मी काजू कंपनी और अन्य बनाम डिप्टी सीटीओ और अन्य **(1996) 1 एससीसी 468: 1995 (6) पूरक, एससीआर 719;** ए.पी. राज्य बनाम मै0 एच. अब्दुल बाखी और ब्रदर्स **ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 531;** कृषि उपज मंडी समिति और अन्य बनाम ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड **(1995) 1 एस.सी.सी. 655: 1994 (5) पूरक एस.सी.आर. 392;** राम चंद्र कैलाश कुमार एंड कंपनी और अन्य बनाम यू.पी. राज्य और एन.आर. **ए.आई.आर 1980 एससी 1124; 1980 एससीआर 104** संदर्भ दिया।

4. क्योंकि प्रत्यर्थी कम्पनी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बाजार क्षेत्र से खरीद करती है तथा यह घरेलू खपत के लिए आशयित नहीं है, इसलिए कम्पनी को अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के तहत लाईसेंस लेना आवश्यक है। एतद्द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। [पैरा -19 और 20] [1192-डी-ई]

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत:

2006 (6) पूरक। एस.सी.आर. 380 संदर्भित पैरा 6

2001 (2) एससीआर 329 संदर्भित पैरा 12

1996 (5) पूरक। एस.सी.आर. 515 पैरा 12

1995 (6) पूरक। एस.सी.आर. 719 संदर्भित पैरा 12

ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 531 संदर्भित पैरा 13

1994 (5) पूरक । एस.सी.आर. 392 संदर्भित पैरा 14

1980 एससीआर 104 संदर्भित पैरा 15

(1987) 4 एससीसी 454 निर्भर किया- पैरा 16

2008 (8) एससीआर 801 सुभिन्न किया- पैरा 18

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 8963/ 2003।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल रिट याचिका संख्या- 12372/2003 से निर्णय व आदेश दिनांकित 14.07.2003 से।

शोभा दीक्षित, दिलीप ध्यानी, सूरज सिंह, प्रदीप मिश्रा अपीलार्थी के लिए।

सुब्रमण्यम प्रसाद, लोकेश भोला प्रत्यर्थी के लिए न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

डॉ. बी.एस. चौहान, न्यायाधीश

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 14.07.2003 के विरूद्ध दायर की गई जो 2003 की सी.एम.डब्लयू.पी. संख्या 12372 में पारित किया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह पारित करते हुए स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 (जिसे इसके बाद अधिनियम 1964 कहा गया है) की धारा 9 के अधीन अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं था।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार है:

ए. प्रत्यर्थी सं. 1 भारतीय कंपनी अधिनयम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और आयुर्वेदिक दवाओं सहित चवनप्राश का निर्माण नैनी, इलाहाबाद में करती है। इसके लिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अनुज्ञप्ति ली थी। चवनप्राश के विनिर्माण के लिए प्रत्यर्थी ने कुछ कृषि उत्पाद अर्थात् गुड़, आंवला और घी आदि विनिर्माण के लिए खरीद किया और इसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया।

बी. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-1 को अधिनियम की धारा 9 के तहत अनुज्ञप्ति लेने के लिए नोटिस दिनांकित 17-3-1999 प्रेषित किया, क्योंकि वह कारबार के सामान्य अनुक्रम में कृषि उत्पाद की खरीद एवं

प्रसंस्करण कर रहा था। प्रत्यर्थी सं0 1 ने उक्त कथित नोटिस का जवाब दिनांक 31.03.1999 को यह अभिकथन करते हुए दिया कि अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नही था, क्योंकि प्रत्यर्थी कृषि उत्पाद की बिक्री या खरीद का कोई व्यापार नहीं कर रहा था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया और एक और नोटिस दिनांकित 02.12.2000 यह कहते हुए प्रेषित किया कि प्रत्यर्थी संख्या-1 अनुज्ञप्ति ले अन्यथा उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाहियां प्रारंभ की जायेगी। इसी प्रकार का पश्चात्वर्ती नोटिस प्रत्यर्थी संख्या-1 को दिनांक 03.12.2000 और 16-12-2000 को प्रेषित किया गया लेकिन प्रत्यर्थी संख्या-1 ने उक्त कथित नोटिसों की और कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-1 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और स्पष्टीकरण पेश करने की अधिनियम 1964 की धारा 9 के तहत अनुज्ञप्ति क्यों आवश्यक नहीं है, नोटिस दिनांकित 14.02.2001 प्रत्यर्थी संख्या-1 को प्रेषित किया। प्रत्यर्थी संख्या-1 ने नोटिस की पालना नहीं की और इस प्रकार, अपीलार्थी ने अधिनियम

1964 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आक्षेप लगाते हुए प्रत्यर्थी संख्या-1 के विरूद्ध विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहबाद के न्यायालय में परिवाद मामला संख्या 480/2002 संस्थित किया।

सी. व्यथित होते हुए, प्रत्यर्थी संख्या-1 ने परिवाद मामला संख्या-480/2002 को अपास्त कराने के लिए रिट याचिका संख्या-

12372/2003 संस्थित करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांकित 14-7-2003 के द्वारा रिट याचिका स्वीकार करते हुए धारित किया कि कथित प्रत्यर्थी कृषि उत्पादों को आन्तरिक उद्देश्य के लिए अर्थात् अन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिए अपने कारखाने में खपत के लिए और ना कि कृषि उत्पाद का आगे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण के लिए उपयोग कर रहा था और इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या- 1 कोे अधिनियम 1964 की धारा 9 के तहत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए, यह अपील की गई।

3. श्रीमती शोभा दीक्षित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या-1 आयुर्वेदिक दवाओं का विनिर्माण कर रहा है और आंवला, गुड़ तथा घी आदि अधिनियम के अधीन स्थापित बाजार क्षेत्र से खरीद कर रहा है, जो कि स्वीकृत रूप से कृषि उत्पाद है। इसलिए, एक व्यापारी होते हुए, प्रत्यर्थी संख्या-1 को विशिष्ट कृषि उत्पाद की बाजार क्षेत्र से खरीद के संबंध में अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है और आवश्यक बाजार शुल्क का भुगतान भी आवश्यक है और अधिनियम 1964 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन दाण्डिक परिणामों को अर्थात् अधिनियम 1964 की धारा 37 के अधीन अभियोजन, को आकर्षित करेगा। कृषि उत्पाद का दवाओं में विनिर्माण के लिए कथित उपयोग घरेलू

खपत के रूप में नहीं कहा जा सकता है। शब्द"घरेलू" का अर्थ परिवार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपेक्षा करता है और इस शब्द की इस तरह के व्यापक शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसमें एक उद्योग में वाणिज्यिक स्तर पर एक अलग वस्तु का विनिर्माण शामिल हो सकता हो। उच्च न्याालय ने शब्द"घरेलू" को परिभाषित करते हुए व्यापक व्याख्या देकर अर्थात् अंतिम उत्पाद की देश में आपूर्ति करने के लिए आशयित ना की निर्यात के लिए, गलती की है। यहां तक की, इस तथ्य को कि एक पर्याप्त व प्रभावकारी उपचार जो अधिनियम 1964 के तहत प्रदत्त था। प्रत्यर्थी को उपलब्ध था, को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को रिट याचिका को ग्रहण नहीं करना चाहिए था। इसलिए, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

4. इसके विपरीत, श्री सुब्रमण्यम प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होते हुए निवेदन किया कि अधिनियम 1964 के विधिक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या-1 को ना तो कृषि उत्पाद का क्रेता या विक्रेता नहीं माना जा सकता है ना ही यह कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगा हुआ है, इसलिए अधिनियम 1964 के प्रावधान लागू नहीं होते है, प्रत्यर्थी कम्पनी अपने कारखाने में च्यवनप्राश के विनिर्माण के लिए कृषि उत्पाद केवल कच्चे माल के रूप में खरीद करती है। इस प्रकार तथ्यात्मक स्थिति में, प्रत्यर्थी संख्या-1 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी

नियमावली, 1965 (जिसे इसके बाद "नियम 1965" कहा गया है) के नियम 70 के साथ पढते हुए अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के तहत अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

6. स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम यू.पी. राज्य व अन्य, (2006) 10 एस.सी.सी. 201, में इस न्यायालय ने इन्हीं कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए राज्य की ओर से किये गये तर्कों को स्वीकार किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पर्याप्त और प्रभावी कानूनी उपचार व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध था, उच्च न्यायालय को कानूनी उपचार को निःशेष किये बिना रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। इस मामले को निस्तारित करते हुए, इस न्यायालय ने अधिनियम 1964 के तहत बड़ी संख्या में इस कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर भरोसा किया। जैसा भी हो, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर गुणावगुण पर विचार किया गया है और 8 सालों से भी अधिक की अवधि का पर्यावसान हो चुका था, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता अथवा विधिक उपचार के निःशेष होने के मुद्दे को विचार में लेना वांछनीय नहीं है। मामले को गुणावगुण विचारित किया जाना आवश्यक है।

7. अपील निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न उठाती है:

क्या प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा बाजार क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद खरीदा गया और वाणिज्यिक उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया गया को घरेलू खपत माना जा सकता था और इस कारण इसे अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के तहत अनुज्ञप्ति लेने से और धारा 17 (पपप) (बी) के तहत भार और बाजार शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी?

8. अधिनियम 1964 को विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बाजार क्षेत्र में बिक्री और खरीद को विनियमित करने और उत्तर प्रदेश राज्य में पुरानी बाजार प्रणाली में प्रचलित अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य उत्पादन विक्रेता से लिए जाने वाले कई व्यापार शुल्कों, भारों और अधिभारों को कम करना है, सटीक भार और तराजू के सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादक विक्रेता अपनी वैध देनदारियों से इन्कार न करे। आगे और उत्पादक विक्रेता को बाजार में सुविधाएं प्रदान करने के लिए और बेहतर भण्डारण सुविधाये प्रदत्त करने के लिए, उत्पादक विक्रेताओं से असामान्यताओं एवं अनधिकृत भारों एवं शुल्कों को रोकने के लिए तथा विशिष्ट कृषि उत्पाद के संबंध में बाजार की खुफिया जानकारी के उद्देश्य से कृषि उत्पादकों की नवीनतम स्थिति के साथ नियुक्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्थायें करने के लिए हैं।

9. उपरोक्त मुद्दे के निर्णय के लिए अधिनियम 1964 के कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है।

(क) अधिनियम, 1964 की धारा 2 (क) "कृषि उपज" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" कृषि उत्पाद" से ऐसी वस्तुतएं अभिप्रेत है: कृषि, बागवानी, विटिकल्चर, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन के उत्पाद, अनुसूची में निर्दिष्ट मत्स्य पालन, पशुपालन या वन और इसमें दो या दो से अधिक मत्स्यों का मिश्रण शामिल है, ऐसी वस्तुएं, और संसाधित में ऐसी कोई भी वस्तु भी शामिल है, गुड़, रब, शक्कर, खंडसरी और गुड़ शामिल हैं।

(ख) "व्यापारी" को धारा 2 के खंड (वाई) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गय है।

"व्यापारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में कृषि को खरीदने या बेचने में लगा हुआ है, जो प्रधान के रूप में या एक या अधिक प्रधान के विधिवत अधिकृत अभिकर्ता के रूप में और उनमें एक व्यक्ति शामिल है, जो कृषि उपज के प्रसंस्करण में" नियुक्त किया गया है।

(ग) " घरेलू खपत" के लिए कृषि उपज की खरीद पर अधिनियम 1964 की धारा 9 अधिनियम के अनुप्रयोग को बाहर करती है।

"(1) बाजार क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा की तारीख से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति बाजार क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को बिक्री, खरीद भंडारण, वजन या प्रसंस्करण के लिए किसी स्थान को स्थापित करना या जारी रखना, या स्थापित करने की या जारी रखने की अनुमति समिति द्वारा दिए गए लाइसेंस की शर्तों के तहत और उसके अनुसार ही देगा अन्यथा नहीं। चाहे किसी निर्णय रूढ़ी प्रथा या करार में इसमें इसके विपरीत कुछ भी हो।

बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान कृषि उपज के संबंध में उत्पादक को जिसके द्वारा उत्पाद को उत्पादित, पाला गया, पकड़ा गया या संसाधित किया गया अथवा वह व्यक्ति जो किसी भी कृषि उपज को घरेलू उपयोग के लिए खरीदता या संग्रहीत करता है को लागू नहीं होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति प्रधान बाजार यार्ड या किसी उप बाजार - यार्ड में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के संबंध में व्यापारी, दलाल, कमीशन एजेंट, वेयरहाउसमैन, वेटमैन, पलदार या ऐसी अन्य क्षमता में जो विहित की जाए के रूप में व्यवसाय या काम संबंधित समिति से प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और शर्तों के अनुसार के सिवाय नहीं करेगा।

(घ) अधिनियम 1964 की धारा 17 समिति को लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने, निलंबित करने या रद्द करने और शुल्क लगाने और

बाजार शुल्क एकत्र करने के लिए सशक्त बनाती है। हालांकि, इसके लिए प्रावधान इस प्रकार है

"बशर्ते कि कोई बाजार शुल्क या विकास उपकर किसी विनिर्दिष्ट कृषि उपज की खुदरा बिक्री पर जहां ऐसी ब्रिकी उपभोक्ता अपने घरेलू उपभोग के लिए करता है पर नहीं लगाया जाएगा।

(बल दिया)

(ई) अधिनियम, 1964 की धारा 37 समिति को अधिनियम 1964 की धारा 9 में विहित प्रावधानों या अधिनियम 1965 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के लिए सशक्त करती है।

(च) नियम 1965 का नियम 70 निम्नानुसार है:

"बाजार समिति द्वारा अनुज्ञप्ति धारा 17 (i) -(1)

बाजार समिति सभी स्थानीय निकायों और अन्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण, तौल या प्रसंस्करण के लिए कोई स्थान बाजार क्षेत्र में स्थापित करने या स्थापित करना जारी रखने के लिए बुलाएगी और इसी तरह सभी व्यापारियों कमीशन एजेंट, ब्रोकर, वेयरहाउसमैन, वजनदारमापने वाले, पलदार और अन्य व्यक्ति जो निर्दिष्ट कृषि उपज को बाजार यार्ड में संभालता है या उसका सौदा करता है को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) की धारा 9 की उप-धारा (2)

जैसी भी स्थिति हो के तहत लाईसेंस के लिए आवेदन बाजार समिति अपने उप-कानूनों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर करने के लिए बुलाएगी।

बशर्ते कि इस उप-नियम के प्रावधान उत्पादित कृषि उपज के संबंध में एक उत्पादक को, जिसके द्वारा और किसी भी व्यक्ति को जिसके द्वारा कृषि उत्पाद को उत्पादित किया गया, पाला गया, पकड़ा गया या संसाधित किया गया जो अपने घरेलू उपभोग के लिए कोई कृषि उपज खरीदता या संग्रहीत करता है को लागू नहीं होंगे।

10. उपरोक्त विधिक प्रावधानों का संयुक्त पठन करने पर संचयी प्रभाव इस प्रकार का है कि बाजार क्षेत्र में किसी भी स्थान से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की बिक्री निषिद्ध है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति के पास अनुज्ञप्ति ना हो। कानून में अनुज्ञप्ति होने या बाजार शुल्क के भुगतान का एक अपवाद है कि यदि कृषि उत्पाद की बिक्री "घरेलू खपत" के लिए ऐसे व्यक्ति को "खुदरा बिक्री" में की जाती है।

11. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा खरीदशुदा उत्पाद कृषि उत्पाद है।

अपीलार्थी द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 18-04-1988 को देखते हुए, एक खुदरा व्यापारी उसको विहित सीमा से अधिक कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद

किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकता। उक्त परिपत्र कृषि उत्पाद की वह अधिकतम सीमा तय करता है जो खुदरा व्यापारी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को घरेलू खपत के लिए बेच सकता है। नियम 1965 के अधीन जारी परिपत्र कृषि उत्पाद की किसी व्यक्ति को बिक्री और भण्डारण की सीमा विहित करता है:

खुदरा व्यापारी किसी व्यक्ति को बिक्री कर सकता है

खुदरा व्यापारी खरीद कर सकता है

गुड़ - 20 कि.ग्रा.

आंवला - 5 कि.ग्रा.

घी - 4 कि.ग्रा.

गुड़ - 10 क्विंटल

आंवला - 1 क्विंटल

घी - 50 कि.ग्रा.

12. जी. गिरिधर प्रभु और अन्य बनाम कृषि उपज बाजार समिति, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1363, में इस न्यायालय ने कर्नाटक कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1966 के तहत इसी तरह के प्रावधान, जिसमें न्यायालय इसमें निहित"व्यापारी" शब्द से संबंधित था,

पर विचार किया। इसके बाद इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार करते हुए विशेष रूप से, एच.पी. विपणन बोर्ड और अन्य में बनाम शंकर ट्रैडिंग कं. प्रा. लिमिटेड और अन्य, (1997) 2 एस.सी.सी. 496; और विजयलक्ष्मी काजू कंपनी और अन्य बनाम डी. सीटीओ और अन्य, (1996) 1 एस.सी.सी. 468 आदि, में न्यायालय ने धारित किया है कि एक "व्यापारी" द्वारा लेन-देन में प्रसंस्करण उत्पादन और बिक्री करना शामिल है। इसलिए, एक व्यापारी जो विनिर्दिष्ट कृषि उपज, इसे बेचने या निर्माण प्रक्रिया के अधीन करती है और एक अलग कृषि उत्पाद के रूप में अस्तित्व में लाती है। व्यापारी बनाने से निषिद्ध हो जाएगा। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में धारित किया

........"व्यापारी" शब्द की परिभाषा सीमित परिभाषा नहीं है।

यह उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जो केवल खरीदता है। अगर एक व्यक्ति घरेलू या व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदता है, तब वह व्यापारी नहीं होगा। यह तभी होता है जब कोई व्यक्ति बिक्री या प्रसंस्करण या विनिर्माण के उद्देश्य से खरीदता है तब वह एक व्यापारी बन जाएगा। इस प्रकार एक व्यक्ति खरीद करता है। प्रक्रिया या निर्माण करता है और फिर बेचता है, जब वह प्रक्रिया करता है या अधिसूचित कृषि उपज का निर्माण करता है जो उसने खरीदा था, वह इसका चरित्र बदल सकता है और अन्य अधिसूचित कृषि उपज बना सकता है। इस प्रकार उदाहरण के लिए एक

व्यक्ति दूध खरीद सकता है और प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें मक्खन और या पनीर बना सकता है या कोई व्यक्ति खाल खरीद सकता है और प्रक्रिया द्वारा इसे चमड़ा बना सकता है। हालांकि, केवल इसलिए कि एक विशिष्ट और अलग अधिसूचित कृषि उपज अस्तित्व में आता है इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने खरीदा, संसाधित किया और बेचा वह व्यापारी ना रहता हो।"व्यापारी" शब्द केवल खरीद सव्यवहार को ही शामिल नहीं करता, बल्कि पूरे क्रय, प्रसंस्करण, विनिर्माण और बेचने को भी शामिल करता है।

13. एम.पी. राज्य बनाम मै0 एच0 अब्दुल बखी और ब्रदर्स। ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 531 में इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, यानी आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत "विक्रेता" को परिभाषित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति जो विनिर्माण प्रक्रिया में खपत के लिए माल खरीदता है तो वह भी व्यापारी है। न्यायालय ने धारित किया है कि एक व्यक्ति जो उसके द्वारा अपने व्यापार के अनुक्रम में खरीदी गई वस्तु की खपत करता है या बिक्री के लिए अन्य वस्तु का विनिर्माण में उपयोग करता है"व्यापारी" के रूप में माना जा सकेगा।

14. कृषि उपज मंडी समिति और अन्य बनाम ओरिएंट पेपर-इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1995) 1 एस.सी.सी. 655 में एम.पी. कृषि उपज

मंडी अधिनियम, 1973 के समान प्रावधानों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। उक्त मामलों में यह सवाल उठा कि क्या कृषि उत्पाद को मिल ने बेचने के लिए उत्पादन नहीं किया, बल्कि अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया, कि स्थिति में कृषि उत्पाद पर बाजार शुल्क लगाया जा सकता, जो बाजार क्षेत्र में बिक्री के लिए लगाया गया था या बेचा गया था। यह वह मामला था, जहां बांस कागज के विनिर्माण के लिए खरीदे गए थे। न्यायालय ने धारित किया कि एक बार कृषि उपज के बाजार क्षेत्र में लाया जाता है और उसमें बेचा जाता है यह बाजार शुल्क के साथ लगाए जाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाजार क्षेत्र में कृषि उपज की बिक्री या खरीद के लिए बिना लाईसेंस के किसी अन्य उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी अनुमत नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि :

> "........ इस उद्देश्य के लिए यह मायने नहीं रखता कि प्रत्यर्थी द्वारा बांस उन्हें बेचने के लिए या कागज के निर्माण के लिए अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदे जाते हैं। बाजार शुल्क का भुगतान करने का प्रत्यर्थी-मिल्स पर दायित्व को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं किया जा सकता।......."

15. यह मामला इस न्यायालय की संविधान पीठ के रामचंद्र कैलाश कुमार एंड कम्पनी व अन्य बनाम यू.पी. राज्य व अन्य एआईआर 1980 एस सी 1114 में हर तरह से आवृति है, जिसमें अधिनियम 1964 के प्रावधान, जो हस्तगत मामले में शामिल है पर विचार किया गया और न्यायालय ने निम्न प्रकार धारित किया:

> " यदि मिल मालिक द्वारा विशिष्ट बाजार क्षेत्र में धान खरीदा जाता है तथा उसी धान को चावल में बदल दिया जाता है और बेचा जाता है तब मिल मालिक कृषक उत्पादक से धान खरीद पर बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए धारा 17(iii) (b) की उप धारा (2) के अधीन दायी होगा। उसे उप धारा (3) के तहत फिर से बाजार शुल्क का भुगतान चावल के लेन-देन के संबंध में देने के लिए नहीं कहा जा सकता ना ही बाजार समिति दिए गए दोनों उदाहरणों में से एक का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होगी। बाजार शुल्क अकेले धान के लेन-देन के संबंध में ही लगाना और वसूलना पड़ेगा।"

16. विरेंद्र कुमार बनाम कृषि उत्पादन मंडी समिति और अन्य, (1987) 4 एस.सी.सी. 454 में इस न्यायालय ने एक मामले पर विचार किया जहां यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता कृषि उपज (खंडसरी)

के सामान, निर्माता थे और इस प्रकार उन्हें अधिनियम 1964 धारा 9(1) के तहत कोई लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस अदालत ने यह कहते हुए तर्क को खारिज कर दिया कि कृषि उत्पाद के उत्पादक जो उत्पादक उत्पादन, पालन या पकड़ना केवल घरेलू खपत के लिए करता है को धारा 9(1) लागू नहीं होगी।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सुविचारित राय रखते हैं कि खुदरा व्यापारी कृषि उपज को परिपत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं बेच सकता है और खुदरा विक्रेता स्वयं परिपत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद और भण्डारण नहीं कर सकता है। इसलिए, "घरेलू खपत" के अर्थ को इस तरह के सीमित अर्थों में समझना होगा। इस प्रकार, इसका अर्थ है व्यक्तिगत उपयोग के लिए अर्थात् खरीददार के परिवार सदस्यों के उपयोग के लिए और किसी भी उत्पादन गतिविधि के लिए नहीं, अन्यथा खुदरा व्यापारी द्वारा खरीद और भंडारण की सीमाएं निर्धारित करना बेकार हो जाता है। उच्च न्यायालय के ध्यान में अधिनियम 1964 के प्रासंगिक प्रावधान जो विवाद के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विचार करने के लिए आवश्यक थे। पक्षकार ला नहीं सके। थोक में कृषि उपज की खरीद को "घरेलू खपत" के लिए नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय अभिवचनों से आगे नहीं बढ़ सकता है। "घरेलू व्यापार" और "विदेशी व्यापार" का अर्थ, वर्तमान मामले में विवाद में नहीं था।"घरेलू खपत" को 1964 के

अधिनियम के तहत एक बहुत ही प्रतिबंधित और सीमित अर्थ दिया जाना चाहिए अर्थात् खरीददार के व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अर्थात् परिवार द्वारा उपभोग के लिए और वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं।

18. श्री सुब्रमण्यम प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए अपरिचित ने इस न्यायालय के *मै0 केशवानी जर्दा भण्डार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य* एआईआर 2008 एससी 2733 में दिए निर्णय पर भारी विश्वास किया जिसमें यह धारित किया गया कि बाजार शुल्क विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर लगाए जाने योग्य है, ना कि सामान्य कृषि उत्पाद पर। जर्दा जो विनिर्माण प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद नहीं है और यह बाजार मूल्य के भुगतान के अधीन होगा बशर्ते यह "तम्बाकू" माना जाये। जाफरानी जर्दा, अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत परिभाषित *विनिर्दिष्ट कृषि* उत्पाद के विवरण का उत्तर नहीं देता है। यदि यह माना जाता है कि जफरानी जरदा केवल" तम्बाकू" का एक संसाधित रूप है, तो यह बाजार शुल्क के अधीन हो सकता है, लेकिन यदि यह विनिर्माण किया जाता है तो नहीं होगा।

उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले मे लागू नहीं होता है, क्योंकि इस मामले में अन्तर्वलित विवाद प्रश्न अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के तहत एक विनिर्दिष्ट कृषि उपज की बाजार क्षेत्र से खरीद के लिए लाईसेंस होने की आवश्यकता से संबंधित है। अपीलकर्ताओं ने कभी भी प्रत्यर्थी

कंपनी को अंतिम उत्पाद चवनप्राश का बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कहा है।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विचारशील राय रखते हैं कि प्रत्यर्थी कंपनी की निर्दिष्ट कृषि उत्पाद बाजार क्षेत्र से खरीदती है और यह घरेलू उत्पादों के लिए आशयित नहीं है, कंपनी को अधिनियम 1964 की धारा 9 (2) के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है।

20. ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, अपील स्वीकार की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2003 की रिट याचिका नंबर 12372 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 14.07.2003 को एतदद्वारा अपास्त किया जाता है कोई खर्चा नहीं।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामपाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।